



Phone/Fax- 01363-244204

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Email- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 1899/1522020
सेवा में,

दिनांक 01/11/2021

✓ प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय: — माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में
सिमली-बेनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण।

सन्दर्भ:— आपका पत्रांक 812/12-1 गोपेश्वर दिनांक 27.08.2021,

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नलिखित है—

क्र.सं.	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव के पेज न. 3 में भाग 1 में दिनांक व स्थान रिक्त हैं।	आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है
2	प्रस्ताव के पेज न. 19 में उपजिलाधिकारी समिति की बैठक प्रमाण पत्र में उपखण्ड स्तर समिति का नाम रिक्त व बैठक का दिनांक रिक्त है।	आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है
3	प्रस्ताव के पेज न. 21 में उपजिलाधिकारी समिति की बैठक प्रमाण पत्र में उपखण्ड स्तर समिति का नाम रिक्त व बैठक का दिनांक रिक्त है।	आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है
4	प्रस्ताव में पेज न. 28 व पेज न. 50 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल लालनगरी के खसरा न. 69 म में 147.200 है0 भूमि तथा ग्राम सिलंगी में 5.025 है0 भूमि वृक्षारोपण हेतु स्थल राजस्व विभाग द्वारा दी गयी है। जबकि आप द्वारा प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु डिजिटल मैप व जियो रिफरेंस मैप में लालनगरी के खसरा न. 69 में 14.224 है0 व सिलंगी में 5.00 है0 भूमि का के0एम0एल0 फाईल बनायी गयी है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप द्वारा बिना प्रपत्र अध्ययन किये ही प्रस्ताव उच्च स्तर को हस्ताक्षर व स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।	आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है
5	प्रस्ताव के पेज न. 39 में Alignment में क0सं0 20 में पेड़ों की संख्या Average density of forest cover रिक्त है।	आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है
6	प्रस्ताव के पेज न. 68 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र में ग्राम लालनगरी का ही उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है ग्राम सिलंगी में चयनित भूमि की उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है
7	प्रस्ताव में पेज न. 70 में वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में एम0ओ0यू0 प्रमाण पत्र में ग्राम बैनोली में खसरा न. 69 मध्ये रकवा 14.200 है0 दर्शित है जबकि राजस्व विभाग द्वारा वृक्षारोपण हेतु स्थल लालनगरी में 14.200 है0 व सिलंगी में 5.025 है0 भूमि दी गयी है।	आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है
8	प्रस्ताव के पेज न. 72 में भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या रिपोर्ट में पैरा 02 में प्रस्तावित मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 10.175 किमी. बतायी गयी है जबकि आपके द्वारा प्रस्ताव में मोटर मार्ग की वास्तविक लम्बाई 10.125 किमी. दर्शायी गयी है।	आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है
9	प्रस्ताव के पेज न. 77 में न्यूनतम वृक्षों के पातन प्रमाण पत्र में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग के हस्ताक्षर नहीं हैं।	आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है
10	प्रस्तावित मक डम्पिंग स्थल में आ रहे वृक्षों की सूची समरेखण में आ रहे वृक्षों में सम्मिलित वृक्षों से अलग करते हुए समरेखण में आ रहे वृक्षों की सूची व मक डम्पिंग स्थल में आ रहे वृक्षों की सूची को अलग-अलग दर्शित करें, मक डम्पिंग स्थल में आ रहे वृक्षों का पातन निषेध है।	मक डिस्पोजल में आ रहे वृक्षों की अलग सूची प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है।

11	प्रस्ताव में पेज न. 91 में राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण से दूरी प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक आई0टी0 सैल द्वारा निर्गत किये जाते हैं, से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करें।	आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है
----	---	----------------------------------

संलग्न:- उपरोक्त सुन्दरित पत्र।

1.- वन भूमि प्रस्ताव 4 प्रतियों में।

(MK)
अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।

पत्रांक / दिनांक / /2021

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता सातवां वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा.) को अभिलेख हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कनिष्ठ सहायक (वनभूमि प्रकरण) को अभिलेख हेतु प्रेषित।

अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग